

17.12.24

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण  
में पूर्व में वकील अपीलान्त द्वारा प्रा-पत्र पेश कर  
प्रकरण को नोट प्रेस में खारिज करने का निवेदन करने  
से अपील अपीलान्त की नोट प्रेस में खारिज कि जाती  
है। पत्रावली पौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

॥